न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्या: 04/2022 शस्त्र अधिनियम्
GCMS No. 2022/132

जरनैल सिंह पुत्र श्री लाभ सिंह जाति जट सिख निवासी 2–जी–5 सदभावना नगर, श्रीगंगानगर पुलिस थाना कोतवाली जिला श्रीगंगानगर।

———अपीलान्ट

––बनाम––

स्टेट ऑफ राजस्थान।

———रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः– श्री नायब सिंह बूटर — अभिभाषक अपीलांट
श्री गजेन्द्र सिंह — अभियोजन अधिकारी, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 02.11.2022

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 20.07.2022 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 233/81/SDM/BKNR आउटसाईड नं. 70/95/डीएम/जीएनआर से 12 बोर गन डीबीबीएल व 32 बोर रिवॉल्वर का जारी शुदा है, जो दिनांक 27.09.2015 तक नवीनीकृत है। अपीलांट के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण लंबित होने के कारण तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर ने आदेश दिनांक 07.06.2017 व 31.10.2017 पारित कर अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र निलंबित कर दिया। तत्पश्चात् माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने अपने आदेश दिनांक 10.11.2021 द्वारा जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर को प्रकरण में पुनः सुनवाई करने हेतु निर्देशित किया, जिस पर आदेश पारित करते हुए जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को आगामी आदेशों तक निलंबित करने के आदेश दिनांक 20.07.2022 पारित कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर के उक्त आदेश दिनांक 20.07.2022 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट तथा राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से कथन किया है कि अपीलांट के नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 233/81/SDM/BKNR आउटसाईड नं. 70/95/डीएम/जीएनआर से 12 बोर गन डीबीबीएल व 32 बोर रिवॉल्वर का जारी शुदा है, जो दिनांक 27.09.2015 तक नवीनीकृत है। अपीलांट एक सेवानिवृत कार्मिक है। अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण लंबित होना बताकर अपने आदेश दिनांक 07.06.2017 एवं 31.10.2017 द्वारा निलंबित कर दिया। जिसके विरूद्ध प्रार्थी ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे इस न्यायालय ने दिनांक 18.07.2018 को निरस्त कर दिया। तत्पश्चात उक्त निर्णय दिनांक 18.07.2018 के विरूद्ध अपीलांट ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष रिट पेश की। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 10.11.2021 से प्रार्थी को पुनः जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर में उपस्थित होने के आदेश दिये और निर्देश दिये कि अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर पूरे कानूनी व निर्णय से डिस्कस किये गये निर्णयों को मध्यनजर रखते हुए स्पीकिंग आदेश पारित करें। अधिनस्थ न्यायालय में जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर ने अपनी उसी रिपोर्ट को ही रिपीट किया, जिसमें पूर्व से ही अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण किया जाना "अनुचित" की टिप्पणी की हुई थी। अधिनस्थ न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय तथा पेश की गई नजीरों पर कोई गौर नहीं किया। अपीलांट के विरूद्ध दर्ज सभी मुकदमें वर्ष 2014 से पूर्व के है तथा इन सभी मुकदमों में कोई संगीन धारायें नही लगी हुई है। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में जिन केसेज खेम सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व सरजीत बनाम स्टेट का हवाला देते हुए प्रार्थी की रिट पिटीशन स्वीकार की है, उन पर अधिनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। राजस्थान सरकार ग्रह ग्रुप 9 विभाग की ओर से जारी पत्र दिनांक 15.03.2013 व बाद में जारी निर्देशों में भी धारा 17(7) आयुध अधिनियम के तहत कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है, जिसके आधार पर यह स्पष्ट है कि मुकदमा विचाराधीन रहने के दौरान लाईसेंस निलंबन/निरस्त का अधिकार केवल उसी न्यायालय को हैं, जहां मुकदमा विचाराधीन है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

5. विद्वान अभियोजन अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.07.2022 जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 21.04.2022 के आधार पर पारित किया गया है। अपीलांट के विरूद्ध विभिन्न धाराओं में 4 मुकदमें दर्ज है। जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर ने अपनी रिपोर्ट में अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को आगामी आदेशों तक नवीनीकरण किया जाना "अनुचित" की टिप्पणी की है, जो उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट तथा राज्य पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई बहस एवं अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.07.2022 अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि अपील में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त बिन्दुओं की विधिवत जांच करें और यदि जांच में प्रकरण सही पाया जाता है तो नियमानुसार शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण की कार्यवाही संपादित करें।

7. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 02.11.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर